e-i-Hk-jk-l- 1959 dh /kkjk 247¼7½

/kkjk 247 vkcknh rFkk n[ky&jfgr Hkfe e vkj mldh mit e vf/kdkj ¼ 807

(7) कोई भी व्यक्ति, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान में, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः कलेक्टर के लिखित आदेश पर, ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गये या हटाये गये खनिजों के बाजार मूल्य के दुगुने के हिसाब से संगठित राशि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि इस प्रकार संगठित राशि एक हजार रूपये से कम हो, तो कलेक्टर ऐसी उच्चतर राशि की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगी ।

/kkjk 21 [kku ,o [kfut ¼fodkl ,o fofu;eu½ vf/kfu;e] 1957@45

¼/kkjk 21- 'kkfLr;k ¼penalties½ ¾&¼1½ जो कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (IA) के उपबन्धों का उल्लघंन करता है वहा ऐसे कारावास की अवधि से जिसकी सीमा दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना जिसकी सीमा पच्चीस हजार रूपये तक हो सकती है या दोनों से दण्डित किया जायगा ।½

fu;e 30 ¼16½ [kfut fu;e]1996

(16)कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकार एवं ग्राम पंचायत उप संचालक, खनिज अधिकारी,, लिखित में आदेश द्वारा रूपये दस हजार तक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो किसी भी मामले में एक हजार रूपये से कम नहीं होगी ।

[kku ,o [kfut eU;vy fu;e 47

47-'kkfLr ¼penalty½ ¾& कोई भी जो नियम 44 से 50 तक के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लघंन करता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकती है अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से और लगातार उल्लधंन किये जाने पर ऐसे प्रथम उल्लघंन के लिए दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लघंन जारी रहे, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो पांच सौ रूपये प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डित होगा.